NCRES

NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.&I.T.F.
Central Office : 464-AB, Nawab Yusuf Road, Prayagraj (U.P.)
Website : www.ncresindia.org | E-mail : rpsinghncr@gmail.com

R. P. Singh
Gen. Secretary
&
Treasurer-NFIR

Resi. 273-A, Nyay Vihar Colony
Sulem Sarai, Prayagraj - 211011
P&T (O) 0532-2560480, (R) 2972645

No. 48 /NCRES/79/2026 Date : 24.2.2026

श्रीमान प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, प्रयागराज

विषय :– NCR में कार्यरत बुकिंग क्लर्कों को 15 मिनट का लंच ब्रेक देने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किया जाना।

संदर्भ :– (1) NCRES का PNM मद सं0 7/11/2018
(2) NCRES का पत्र दिनांक 14.10.2024

महोदय,

दिनांक 25/26 फरवरी 2020 की PNM बैठक के प्रारम्भिक भाषण के समय जब पूर्व महाप्रबंधक श्री राजीव चौधरी जी को बताया गया कि आम यात्रियों का सामना सबसे पहले वाणिज्य विभाग के फ्रंट लाइन स्टाफ इन्क्वायरी क्लर्क, बुकिग क्लर्क इत्यादि से ही होता है, लेकिन बुकिंग क्लर्कों को 8 घंटे की ड्यूटी में लंच एवं दैनिक कियाओं के लिये 15–20 मिनट का ब्रेक न मिलने से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है व इससे उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन होने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है जो रेल एवं यात्री की संरक्षा व सुरक्षा की दृष्टिकोण से उचित नही है तब पूर्व महाप्रबंधक महोदय ने PCCM को निर्देश दिया था कि बुकिंग क्लर्क के लिये 15 मिनट के लंच ब्रेक देने की व्यवस्था की जाय और PNM बैठक में लंच के बाद आइटम नं0 7/2018 पर चर्चा के समय PCCM ने कहा था कि इस सम्बन्ध में मण्डलो से टिप्पणी मंगाकर निर्देश जारी किया जायेगा।

इसके बाद कार्मिक विभाग द्वारा NCRES के PNM मद सं0 7/11/2018 पर मण्डलो से टिप्पणी ली गई जिस पर आगरा मंडल ने अपने पत्र दिनांक 13.8.2020 (संलग्न), झांसी मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 20.8.2020 (संलग्न) व प्रयागराज मण्डल ने अपने पत्र दिनांक 3.9.2020 (संलग्न) द्वारा प्रधान कार्यालय को प्रस्ताव भेजा कि "ऐसे स्टेशनो पर जहाँ 02 से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालित की जाती है, उन स्टेशनो पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेकानुसार इस प्रकार दे सकते है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे व जहाँ पर केवल एक खिड़की है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जा सकता है"।

अतः NCRES का अनुरोध है कि कर्मचारी हित में PNM मद संख्या 7/11/2018 पर प्रयागराज, झांसी व आगरा मण्डल के Sr. DCM को उचित दिशा–निर्देश जारी करे, ताकि मण्डलो में कार्यरत बुकिंग क्लर्को को 8 घंटे की ड्यूटी में भोजन व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के लिये 15–20 मिनट का ब्रेक मिल सके और वे तनावमुक्त होकर सेवा कर सके जिससे रेलवे की छवि में और सुधार हो सके।

संलग्न : (1) Sr. DCM/Agra का पत्र दिनांक 13.8.2020
(2) Sr. DCM/JHS का पत्र दिनांक 20.8.2020
(3) Sr. DCM/PRYJ का पत्र दिनांक 3.9.2020

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री

उत्तर मध्य रेलवे

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबंधक / वा0

आगरा

क्र:- म.रे.प्र./वा/आगरा/एनसीआरईएस/ आवाव / 2020 — दिनांक :- 13.08.2020

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
प्रयागराज।

विषय:- महाप्रबन्धक स्तर पर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020 को सम्पन्न स्थायी वार्ता तन्त्र की बैठक का वृत्तसार।

संदर्भ:- 1. वरि कार्मिक अधिकारी / मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ एनसीआरईएस/ वृत्तसार / ई-यूनियन दिनांक 09.05.2020
2. 53- सी / एनसीआरईएस /

****

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगरा मंडल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मदों पर टिप्पणी निम्नानुसार है।

[illegible]	टिप्पणी
2018	कॉमर्शियल क्लर्क को ड्यूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बंध में - ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर 02 से अधिक बुकिंग खिडकियां संचालित की जाती है उन स्टेशनों पर गाड़ियो के नियमित ठहराव व यातयात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधानुसार 15 मिनट का लघु ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक खिडकी कार्यरत रहे। ऐसे स्टेशन जहा पर 01 बुकिंग खिडकी है वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधा जनक समय में 15 मिनट का लघु ब्रेक कार्यरत कर्मचारी ले सकता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मंडल वाणिज्य प्रबंधक
आगरा

C/406/यूनियन PNM/Misc/JHS-20/Cog-I

कार्यालय

उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/सा.

मण्डल रेल प्रबंधक (वाणिज्य)

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

झाँसी, दिनाँक- 20.08.2020

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर NCRES के साथ दिनाँक-25 एवं 26 फरवरी 2020 को सम्पन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का वृतासार।

संदर्भ:- 1. 53-सी/बैठक/ NCRES, दिनाँक- 03.06.2020

2.वरि.कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ NCRES/वृतसार/ई-यूनियन, दिनाँक- 19.05.2020।

....

उपरोक्त विषयांतर्गत झाँसी मण्डल के वाणिज्य विभाग से सम्बंधित मदों पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या-95, मद संख्या- 07(112018) के संदर्भ में टिप्पणी-

वाणिज्य लिपिक को कार्य समय के बीच 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बंध में।

प्रस्ताव- उक्त मद के परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि ऐसे स्टेशनो पर जहाँ पर दो से अधिक बुकिंग खिड़कियां संचालितकी जाती हैं, उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुये मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक सुविधा अनुसार 15 मिनट का भोजन-अवकाश (लंच) अपने विवेक से इस प्रकार दे सकता है कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे।

ऐसे स्टेशन जहाँ पर एक बुकिंग खिडकी है, वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय में 15 मिनट का भोजन-अवकाश.(लंच) कार्यरत कर्मचारी से ले सकता है।

आपके सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मण्डल वाणिज्य प्रबंधक,

उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

पत्र संख्या- सीएम-I/ विविध/यूनियन /NCRES/ 2020 दिनांक :- 03.09.2020

उप-मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक(सा)
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

विषय:- महाप्रबंधक स्तर पर एनसीआरईएस के साथ दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2020 को संपन्न स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक का वृतसार|

सन्दर्भ :-1. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय का पत्र संख्या 961 ई/ एनसीआरईएस/वृतसार /ई-यूनियन दिनांक- 09.05.2020.
2. 53-सी/ बैठक/एनसीआरईएस, दिनांक-13.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग से पूर्व में पत्रांक सीएम-4/पीएनएम/ एनसीआरईएस/मुख्या०/2018-20, दिनांक-15.07.20 को मुख्यालय को प्रेषित किया गया है जिसके अनुसार कर्मचारियों के लिए एनसीआरईएस द्वारा मांगी गयी सुविधा पर वाणिज्य विभांग को कोई आपत्ति नही है परन्तु नीतिगत विषय होने के कारण इस पर निर्णय रेलवे बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जा सकता है|

पुनः एक बार फिर प्रयागराज मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा सम्बन्धित मद पर टिप्पणी निम्नानुसार है:-

मद संख्या	टिप्पणी
07(11/2018)	वाणिज्य लिपिक को ड्यूटी के बीच में 15 मिनट का ब्रेक देने के सम्बन्ध में| ऐसे स्टेशनों पर जहां पर 02 से अधिक बुकिंग खिडकियां संचालित की जाती हैं उन स्टेशनों पर गाड़ियों के नियमित ठहराव व यातायात को ध्यान में रखते हुए मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक के द्वारा सुविधानुसार 15 मिनट का लंच ब्रेक अपने विवेक से इस प्रकार दिया जाना कि कम से कम एक खिड़की कार्यरत रहे| तथा ऐसे स्टेशनों पर जहाँ पर 01 बुकिंग खिड़की है वहां भी गाड़ियों के आवागमन के अनुसार सुविधाजनक समय से 15 मिनट का लंच ब्रेक कार्यरत कर्मचारी को दिया जाना| दोनों ही बिंदु एक उचित मांग है तथा इसपर वाणिज्य विभाग को कोई आपत्ति नही है विषय नीतिगत होने के कारण सक्षम अनुमोदन के पश्चात लागू किया जा सकता है|

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है|

पंकज 4/9/2020
सहायक मंडल वाणिज्य प्रबंधक
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज